प्रबन्ध मण्डल की 28 वीं बैठक दिनांक 23-09-2016 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 28 बैठक दिनांक 23-09-2016 को प्रातः 11:00 बजे कुलपति सचिवालय में प्रो. चन्द्रकला पाडिया, कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. चन्द्रकला पाडिया (कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर)	अध्यक्ष
2.	श्री सुवालाल (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. सरकार)	सदस्य
3.	डॉ. उमाकान्त गुप्त (प्रतिनिधि, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राज. सरकार)	सदस्य
4.	डॉ. एस. एन. शर्मा (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य)	सदस्य
5.	प्रो. एम.एम. सक्सेना (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
6.	डॉ. सुरेन्द्र कुमार सहारण (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
7.	श्री यशवंत सिंह भाकर	सदस्य सचिव

माननीय कुलपति महोदया द्वारा प्रबन्ध मण्डल बैठक में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-28/2016/339

प्रबन्ध मण्डल की 27 बैठक दिनांक 16-07-2016 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 27 वीं बैठक दिनांक 16-07-2016 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका है। कार्यवाही विवरण की प्रति पुनः संलग्न कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न : कार्यवाही विवरण

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल की 27वीं बैठक दिनांक 16-07-2016 के कार्यवाही विवरण का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-28/2016/340

प्रबन्ध मण्डल की 27वीं बैठक दिनांक 16-07-2016 में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 27वीं बैठक दिनांक 16-07-2016 लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न : पालना प्रतिवेदन ।

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल की 27 वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की पालना प्रतिवेदन का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-28/2016/341

विद्या परिषद की 15 वीं बैठक दिनांक 31-08-2016 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

प्रबन्ध मण्डल के विनिर्णय संख्या 334 की पालना में विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 15 वीं बैठक दिनांक 31-08-2016 को आयोजित हुई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न : कार्यवाही विवरण ।

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल द्वारा विद्या परिषद की बैठक दिनांक 31-08-2016 के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श उपरान्त विद्या परिषद की कार्यवाही विवरण में निम्नलिखित बिन्दुओं को विशेषरूप से उल्लेख करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया :-

1. माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय का आगामी दीक्षान्त समारोह दिनांक 22-12-2016 को आयोजित होना प्रस्तावित है जिसमें विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा 2015 के अंतिम वर्षो में सफलतम 84004 अभ्यर्थियों को उपाधि एवं अंतिम वर्ष की कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 48 अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने है। साथ ही 01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि में शोध कार्य सम्पन्न कर चुके 67 विद्या-वाचस्पतियों को उपाधि प्रदान की जानी है। उपाधि का प्रारूप गत वर्षो में प्रदान की गई उपाधियों के अनुसार ही है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार उपाधि प्रदान करने का ग्रेस पास किया गया तथा स्वर्ण पदक प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की।
2. अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दीक्षान्त समारोह हेतु ड्रेस कोड का निर्धारण किया जा चुका है। परन्तु राज्यपाल सचिवालय द्वारा ड्रेस कोड में कलर का निर्धारण करने हेतु विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया है। दीक्षान्त समारोह में विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित ड्रेस कोड कलर पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
3. सत्र 2016-17 से शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम अन्तर्गत चार वर्षीय बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड. तीन वर्षीय बी.एड. एम.एड. पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय में प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई।
4. विश्वविद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों को सी.ए.एस. का लाभ देने हेतु विषय विशेषज्ञों के पैनलों का अनुमोदन किया गया।
5. विश्वविद्यालय परीक्षाओं में मार्किंग सिस्टम लागू करने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गई।
6. विश्वविद्यालय विभागों एवं सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने एवं उपस्थिति के आधार पर इन्सेटिव दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

7. विश्वविद्यालय में पण्डित मदन मोहन मालवीय सेन्टर फॉर वेल्यु एज्युकेशन की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम वर्ष में 1.50 करोड रू. का बजट स्वीकृत किया गया।

8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 को इस विश्वविद्यालय में अंगीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

9. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति सम्बन्धी न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण सम्बन्धी उपाय (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2016 को इस विश्वविद्यालय में अंगीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–28/2016/342

विश्वविद्यालय परिसर में 100 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 21-07-2016 में लिये गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय परिसर में 100 फीट ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्यज फहराये जाना है। इस सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रेषित पत्र पत्र क्रमांक 3906 दिनांक 16 मई, 2016 के द्वारा निर्देश प्रदान किये है।

विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज लगाये जाने के लिए स्थान चिन्हित करने हेतु माननीय कुलपति महोदया के निर्देशानुसार समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा विश्वविद्यालय प्रवेश द्वार से लगभग 100 मीटर अन्दर प्रथम सर्किल पर राष्ट्रीय ध्वज लगाये जाने की अनुशंसा की गई है। राष्ट्रीय ध्वज लगाने की स्थाई व्यवस्था हेतु लगभग 11.00 लाख रू. व्यय आने की संभावना है।

प्रबन्ध मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 21-07-2016 में लिये गए निर्णयानुसार दिनांक 30 नवम्बर, 2016 तक विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाने के निर्देश प्रदान किये गए है। प्रस्तावित व्यय राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–28/2016/343

विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानन्द जी की मूर्ति स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव:

कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 21-07-2016 में लिये गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानन्द जी की मूर्ति स्थापित की जानी है। मूर्ति स्थापित करने के लिए स्थान चिन्हित करने हेतु माननीय कुलपति महोदया के निर्देशानुसार समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थिति शैक्षणिक भवन के सामने स्वामी विवेकानन्द जी की मूर्ति स्थापित करनें की अनुशंसा की गई है।

प्रबन्ध मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा अष्टधातु की वक्ष (Bust) साइज की स्वामी विवेवकानन्द जी की मूर्ति स्थापित किये जाने की सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-28/2016/344

विश्वविद्यालय परिसर में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :-

कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 21-07-2016 में लिये गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय परिसर में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने है। इस बाबत विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2016-17 में 50 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए स्थान चिन्हित करने हेतु माननीय कुलपति महोदया की निर्देशानुसार समिति का गठन किया गया था। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा बैठक के दौरान प्रस्तुत कर दी जावेगी।

निर्णय :- सदस्य सचिव ने बताया कि गठित समिति द्वारा प्रथम चरण में कुलपति सचिवालय में कुलपति कक्ष, बैठक हाल, अतिथि गृह, कुलपति निवास की ओर जाने वाले रोड पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की अनुशंसा की है। समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा को प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-28/2016/345

विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक संवर्ग के पदो की अर्हता/योग्यता/अनुभव के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव :

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राज. सरकार के पत्र क्रमांक प. 20(02)शिक्षा-4/2007 जयपुर दिनांक 02-08-2016 के द्वारा विश्वविद्यालय में 63 अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत पदों में कुछ पद विश्वविद्यालय में प्रथम बार स्वीकृत हुए है जिनकी योग्यता/अर्हता/अनुभव का निर्धारण प्रबन्ध मण्डल स्तर पर किया जाना है। उल्लेखनीय है कि कुछ पदों की अर्हताओं/योग्यता का महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर के भर्त्ती एवं पदोन्नति नियमों में प्रावधान है, परन्तु उक्त प्रावधान 1998 में निर्मित होने के कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अन्य राजकीय विश्वविद्यालय, राजस्थान सरकार एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताओं के अनुसार निर्धारित की जानी प्रस्तावित है।

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निम्नानुसार पदों की योग्यताएं/अर्हताएं/अनुभव आदि का निर्धारण किया गया :-

क्र. स.	पद नाम	निर्धारित योग्यता/अर्हता/अनुभव
1	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (सीधी भर्त्ती)	**Qualification as Per RPSC :** 1- M.C.A. or B.E./B.Tech. in Information Technology or Computer Science or Electronics and Communications from a recognised University established by law in India or a qualification recognised as equivalent thereto by the Government. OR M.Tech. degree in Information Technology or Computer Science or Electronics and Communications from a recognised University established by law in India or a qualification recognised as equivalent thereto by the Government. OR M.B.A. (IT) from a University established by law in India or a qualification recognised as equivalent thereto by the Government. AND 2- Three years' post qualification relevant work experience

		in legal entity such as Government Organisations/ Government Undertakings/ Public Limited/Private Limited Companies etc. **3-** Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture.
2	प्रोग्रामर (सीधी भर्त्ती)	**Qualification as Per RPSC :** (1) B.E./B.Tech./M.Sc. in Information Technology or Computer Science or Electronics and Communications or M.C.A. from a recognized University established by law in India or a qualification recognized as equivalent thereto by the Government. OR M.Tech. degree in Information Technology or Computer Science or Electronics and Communications from a recognized University established by law in India or a qualification recognized as equivalent thereto by the Government. OR M.B.A. (IT) from a University established by law in India or a qualification recognized as equivalent thereto by the Government. (2) Working Knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.
3	जनसम्पर्क अधिकारी (सीधी भर्त्ती)	**Qualification as Per RPSC :** (1)" भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि साथ पत्रकारिता का किसी राष्ट्रीय या राज्य स्तर के समाचार पत्र का या राष्ट्रीय स्तर की समाचार ऐजेंसी या केन्द्रीय या राज्य जन सम्पर्क या सूचना एवं प्रसारण विभाग के इन पदों अर्थात् (i)संवीक्षक (ii) पत्रकार (iii) सहायक जनसम्पर्क अधिकारी (iv) उप सम्पादक (v) रंगमंच सहायक (vi) संवाददाता (vii) शोध सहायक (viii) प्रदर्शनी सहायक का पांच वर्ष का अनुभव। या भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा। या " भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की हिन्दी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि साथ पत्रकारिता का किसी राष्ट्रीय या राज्य स्तर के समाचार पत्र का या केन्द्रीय या राज्य जन सम्पर्क या सूचना एवं प्रसारण विभाग में 3 वर्ष का अनुभव। नोट :- (1) प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित अनुभव आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है अन्यथा अपात्र। (2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
4	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	**Qualification as Per Information & Technology Department, Govt. of Rajasthan :**

	(सूचना सहायक) (सीधी भर्त्ती)	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के अन्तर्गत "सूचना सहायक" के पद पर सीधी भर्ती के अभ्यार्थी के पास देवनागरी लिपि मे लिखित हिन्दी का तथा राजस्थान संस्कृति का ज्ञान के अतिरिक्त अर्हताएं होनी चाहिए :– (i) Graduate or higher degree in Computer Science/ Computer Engineering /Computer Applications/Computer Science & Engineering or Electronics or Electronics & Communication or Information Technology or equivalent of a University established by law in India. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर अभियांत्रिकी / कम्प्यूटर एप्लीकेशन / कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रोनिक्स या इलेक्ट्रोनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य or / या Post Polytechnic Diploma in Computer Applications or 3 years Diploma in Computer Science & Engineering/Computer Applications/Information Technology or equivalent from a Polytechnic institution recognized by the Government. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलीटेक्नीक संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलीटेक्निक डिप्लोमा या कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी / कम्प्यूटर एप्लीकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य। Graduate of a University established by law in India with Diploma in Computer Science/Computer Application/ Information Technology or equivalent of a University established by law in India or of an Institution recognized by the Government. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर एप्लीकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य। or / या Graduate of a University established by law in India with "O"or Higher Level Certificate course conducted by National Institute of Electronics and Information Technology (NIEIT)/DOEACC under the control of Department of Electronics, Government of India. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.इ.सू.प्रौ.सं.) डीओईएसीसी (डोएक) द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। or / या Graduate of a University established by law in India with Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate Organised under National/State Council of Vocational Training Scheme.

		भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद के अधीन आयोजित कम्प्यूअर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.औ.प्रो.सं.)/डाटा प्रिपेरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (डा.प्रे.क.सा.) प्रमाणपत्र, or/या Speed of 20 words Per Minute typing in Hindi and English both. हिन्दी और अंग्रेजी दोनो में 20 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति।
5	कनिष्ठ अभियन्ता (सीधी भर्त्ती)	**Qualification as per राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर** – 1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि या सरकार द्वारा इससे समतुल्य घोषित अर्हता । या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इस्टीट्यूट ऑफ इजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवृति परीक्षा से छूट के प्रायोजन के लिए हो 2. देवनागरी लिपि में लिखि हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।
6	इलैक्ट्रीशियन (सीधी भर्त्ती)	विद्युत/वायरमैन ट्रेड में आई.टी.आई. प्रमाण पत्र एवं इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर का प्रमाण-पत्र।
7	प्लम्बर (सीधी भर्त्ती)	सम्बन्धित व्यवसाय (प्लम्बर/फिटर) का आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र व संस्थान में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव।
8	बुक/रिकार्ड लिफ्टर (सीधी भर्त्ती)	Secondary Exam Passed with 02 year experience in College/University.
9	वरिष्ठ निजी सहायक (पदोन्नति)	5 Year Experience on the Post of Personal Assistant.

उपरोक्त समस्त सीधी भर्त्ती के पदों पर अभ्यर्थी को आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक पूर्ण पात्रता/अर्हता होनी आवश्यक होगी।

इसके अतिरिक्त उल्लेख है कि वर्ष 2012 में कनिष्ठ लिपिक पदों पर की गई भर्ती के समय कम्प्यूटर टाईप टेस्ट हेतु जारी निर्देशों में अभ्यर्थी को हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर टाईप टेस्ट) हेतु निर्धारित 25+25 (कुल 50) अंकों में से उत्तीर्ण होने के लिए टाईप टेस्ट में सम्मिलित रूप (हिन्दी व अंग्रेजी) से 18 अंक लाने अनिवार्य थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य राजकीय विभागों में हिन्दी एवं अंग्रेजी के टाईप टेस्ट में पृथक–पृथक 36% न्यूनतम उत्तीर्णांक लाने का प्रावधान है। अतः कनिष्ठ लिपिक की भर्त्ती में कम्प्यूटर टाईप टेस्ट हेतु उक्तानुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी के टाईप टेस्ट में उत्तीर्ण होने के लिए पृथक–पृथक 36% न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रावधान किया गया ।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-28/2016/346

विशेष परीक्षा आयोजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर में एम.कॉम पूर्वाद्ध में नियमित रूप से अध्यनरत छात्रा कुमारी नूतन द्वारा एन.सी.सी. गर्ल्स एवरेस्ट एक्सपीडिशन 2016 में पर्वतारोहण दल के सदस्य के रूप में 8848 मीटर Sagarmatha (Mt. Everest) हिमालय पर सफलतापूर्व झण्डारोहण किये जाने के कारण विश्वविद्यालय की तत्समय आयोजित मुख्य परीक्षा 2016 में सम्मिलित नही हो पाई। छात्रा द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 29-06-2016 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि एम.कॉम. पूर्वाद्ध (व्यवसायिक प्रबन्धन) की विशेष परीक्षा आयोजित करवाकर प्रार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका प्रदान किया जाए। इस सम्बन्ध में उल्लेख है कि स्नातकोत्तर में पूरक परीक्षा आयोजन का प्रावधान नही है तथा विश्वविद्यालय आर्डिनेंस में विशेष परीक्षा आयोजन का कोई प्रावधान उपलब्ध नही है। केवल छात्रों की उत्तरपुस्तिकाओं के नष्ट होने की स्थिति में ही विशेष परीक्षा आयोजन का प्रावधान है। साथ ही विशेष परीक्षा आयोजन की स्थिति में समस्त प्रश्न पत्र निर्माण करवाकर मुद्रित करवाने होगे। तत्पश्चात परीक्षा आयोजन करवाकर परीक्षा परिणाम जारी करना होगा जिस पर विश्वविद्यालय में स्टॉफ की अत्याधिक कमी एवं परीक्षा कार्यो के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के साथ विशेष परीक्षा आयोजन हेतु अतिरिक्त मानव श्रम एवं संसाधन की आवश्यकता होगी।

निर्णय :- माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि छात्रा कुमारी नूतन द्वारा एन.सी.सी. गर्ल्स एवरेस्ट एक्सपीडिशन 2016 में पर्वतारोहण दल के सदस्य के रूप में 8848 मीटर Sagarmatha (Mt. Everest) हिमालय पर सफलतापूर्व झण्डारोहण किये जाने के महत्वपूर्ण योगदान के कारण विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह गई है। छात्रा द्वारा विशेष परीक्षा आयोजन कराने का अनुरोध किया गया। माननीय सदस्य एवं परीक्षा नियंत्रक प्रो. एम.एम. सक्सेना ने सदन को अवगत कराया कि राजस्थान विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों में विशेष परीक्षा आयोजन कराने का कोई प्रावधान नही है। यदि प्रबन्ध मण्डल द्वारा विशेष परीक्षा आयोजन की अनुमति प्रदान की जाती है तो विश्वविद्यालय को अध्ययन मण्डल से पैनल प्राप्त कर प्रश्न पत्र निर्माण, मुद्रण, परीक्षा आयोजन एवं परिणाम जारी करने सम्बन्धी समस्त कार्यवाइयां करनी होगी जिसमें अत्याधिक समय लगने की संभावना एवं तब तक परीक्षा 2017 आ जाएगी। अतः उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार परीक्षार्थी परीक्षा 2017 में प्रविष्ठ हो सकती है। प्रो. सक्सेना ने यह भी उल्लेखित किया कि एक बार विशेष परीक्षा आयोजन की अनुमति प्रदान की जाती है तो अनेक छात्रों द्वारा विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए विशेष परीक्षा आयोजन हेतु प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार विमर्श उपरान्त इसको उदाहरण नही बनाते हुए विशेष परीक्षा आयोजन की अनुमति हेतु आर्डिनेंस में संशोधन बाबत प्रकरण माननीय राज्यपाल महोदय को भिजवाने का निर्णय लिया गया। माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति उपरान्त ही विशेष परीक्षा आयोजन कराने की अनुमति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-28/2016/347

विश्वविद्यालय में स्किल डवलपमेन्ट केन्द्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :-

कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 29-01-2016 एवं 21-07-2016 में लिये गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में स्किल डवलपमेन्ट केन्द्र की स्थापना की जानी है। इसी क्रम में प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से निर्देश प्राप्त हुए है कि म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर की तर्ज पर इस विश्वविद्यालय में Entrepreneurship and Small Business Centre (EBCS) खोला जावे। विश्वविद्यालय में EBCS प्रारम्भ करने से पूर्व आधारभूत संसाधन, कोर्स संचालन, उसकी उपयोगिता, परीक्षा आदि कार्ययोजना तैयार करने हेतु माननीय कुलपति महोदया के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.01(06)मगंसिविबी/वीसीसी/2016/622 दिनांक 01-04-2016 के द्वारा समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा Skill Development के तहत विश्वविद्यालय में निम्न पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की अनुशंसा की गई है :-

1. Diploma in Food Processing
2. Certificate Course in Cookery
3. Diploma in Web Designing and Development
4. PG Diploma in Tourism and Culture

उल्लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा भारत सरकार की उक्त स्कीम के अन्तर्गत Micro, Small, Medium Enterprises (MoMSME) विभाग में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर इस प्रस्ताव के अन्तर्गत होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम (150 लाख) का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत राशि विश्वविद्यालय को स्वयं की आय से वहन करनी होगी।

विश्वविद्यालय में Entrepreneurship and Small Business Centre (EBCS) के तहत उपरोक्त डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम संचालित करने के सम्बन्ध 30042000.00 की अनुमानित व्यय का प्रस्ताव माननीय कुलपति महोदया के निर्देशानुसार आयुक्त, उद्योग राजस्थान, उद्योग भवन, जयपुर को भिजवा दिया गया है। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत होने की स्थिति में 15000000/- की राशि Minister of Micro, Small, Medium Enterprises (MoMSME) विभाग द्वारा स्वीकृति की जाएगी तथा शेष राशि 15042000/- विश्वविद्यालय को स्वयं की आय से वहन करना होगा।

उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उन पर होने पर व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में स्किल डवलपमेन्ट केन्द्र की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-28/2016/348

मोबाइल, इन्टरनेट एवं आवासीय फोन व्यय के पुनर्भरण बाबत प्रस्ताव

विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 24648-65 दिनांक 17.10.2015 के क्रम में प्रबंध मंडल की 27वीं बैठक दिनांक 16.07.2016 में लिये गये निर्णय की पालना में वित्त नियंत्रक द्वारा जारी

अनौपचारिक टिप्पणी के अनुसार विश्वविद्यालय अधिकारियों को आवासीय टेलिफोन एवं मोबाइल फोन के पुनर्भरण की सुविधा निम्नानुसार देय है :—

क्र.स.	अधिकारी का पदनाम	आवासीय फोन	मोबाइल फोन
1	परीक्षा नियंत्रक	राज्य सरकार के नियमानुसार	550/—
2	उप कुलसचिव	750/—	550/—
3	सहायक कुलसचिव	650/—	550/—

इस संबंध में समस्त अधिकारियों के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि विश्वविद्यालय कार्य हेतु आवासीय फोन में इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ हैं। इंटरनेट एवं दूरभाष का न्यूनतम किराया ही लगभग 1100/— रु प्रतिमाह होता हैं। इसके अतिरिक्त थोड़े बहुत कॉल्स भी हो जाते हैं। इस स्थिति में न्यूनतम किराया/वास्तविक व्यय के स्थान पर उप कुलसचिव एव सहायक कुलसचिव का क्रमशः मात्र 750/—रु. एवं 650/—रु. की राशि पुनर्भरण के निर्णय पर पुनर्विचार हेतु सादर निवेदन हैं। द्वितीय, विश्वविद्यालय स्थापना से ही अधिकारियों की संख्या कम होने के कारण प्रत्येक अधिकारी के पास एकाधिक विभागों का प्रभार हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रबंध मंडल के निर्णयानुसार प्रारंभ से ही उप कुलसचिव को आवासीय फोन के वास्तविक व्यय का पुनर्भरण किया जाता रहा हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य कुलानुशासक द्वारा भी पत्र प्रेषित कर म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के अनुसार मोबाइल पुनर्भरण करने का अनुरोध किया गया है।

अतः राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.08.2013 (छाया प्रति संलग्न) व म.द.स. विश्वविद्यालय अजमेर के आदेश क्र 38792 दिनांक 21.10.2010 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार विश्वविद्यालय अधिकारियों को मोबाइल, इंटरनेट एवं आवासीय फोन के पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय अधिकारियों को मोबाइल/दूरभाष बिलों का महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा निर्धारित दर से पुनर्भरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही विश्वविद्यालय अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धरत दरों के अनुसार मोबाइल/दूरभाष टेलीफोन/इन्टरनेट के बिलों के पुनर्भुगतान करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से -

1. माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि श्री ओमप्रकाश द्वारा कारगिल युद्ध में दिव्यांग होने के कारण शोध कार्य अवधि में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2016 में दिव्यांगो एवं महिलाओं को शोध कार्य अवधि में बढोतरी की गई है। उक्त विनियम के परिप्रेक्ष्य श्री ओमप्रकाश को शोध कार्य अवधि में एक वर्ष बढोतरी किये जाने की प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
2. माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 17-10-2016 को नई शिक्षा नीति पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें माननीय केन्द्रीय मंत्री श्रीमान् अर्जुनराम जी मेघवाल एवं श्रीमान महेन्द्र पाण्डे जी द्वारा पधारने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

माननीय सदस्य प्रो. एम.एम. सक्सेना ने सदन को अवगत कराया कि उनकी विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृति 30-09-2016 को हो रही है। उन्होनें उनको प्रबन्ध मण्डल का सदस्य बनाये जाने हेतु माननीय अध्यक्ष एवं अन्य प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा माननीय प्रो. एम.एम. सक्सेना द्वारा विश्वविद्यालय में गई महत्वपूर्ण सेवाओं एवं उनके द्वारा प्रबन्ध मण्डल में दिये गए सकारात्मक सहयोग की प्रशंसा की गई। साथ ही प्रबन्ध मण्डल द्वारा उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान की गई।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

कुलसचिव